महत्वपूर्ण/ई-मेल/फैक्स के माध्यम से

पत्र संख्या-बी-4-वाहन कय-आउटसोर्सिंग से वाहन व्यवस्था-2021-2022 / 665 /वाणिज्य कर
कार्यालय कमिश्नर वाणिज्य कर उत्तर प्रदेश
(स्थापना अराजपत्रित अनुभाग)
लखनऊ :: दिनॉक :: 01 जून,2021

1. अपर निदेशक, वाणिज्य कर प्रशिक्षण संस्थान,उत्तर प्रदेश लखनऊ।
2. समस्त आहरण वितरण अधिकारी,वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।

शासन के पत्र संख्या-163/11-4-2021-400(26)/2006 राज्य कर अनुभाग-4 दिनॉक-07-04-2021 द्वारा निर्देश दिया गया है कि वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-6/2020/ बी-1-218/दस-2020-231/2020 दिनॉक-18 मई 2020 के प्रस्तर-1(7) में दी गयी व्यवस्थानुसार विभाग द्वारा नए वाहनों को कय नहीं किया जाये। पूर्व में विद्यमान जो वाहन निष्प्रयोज्य हो रहे हैं, उनके स्थान पर न्यूनतम आवश्यकता का आकलन किया जाये तथा आवश्यकतानुसार आउटसोर्सिंग के माध्यम से वाहन अनुबन्धित किया जाये। इसके अतिरिक्त सरकारी वाहनों के अनुरक्षण एवं ईधन पर होने वाले व्यय पर विशेष ध्यान दिया जाए तथा सभी स्तर पर यह सुनिश्चित किया जाए कि वाहनों एवं ईंधन का दुरुपयोग न हो। इस मद में बजट आवंटन के सापेक्ष व्यय में कमी लायी जाय।

अतः उक्त के दृष्टिगत आप से अपेक्षा की जाती है कि विभागीय वाहनों से सम्बन्धित सूचना निर्धारित प्रारुप में अधोहस्ताक्षरी को दिनॉक-04.06.2021 तक प्रत्येक दशा में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें ताकि न्यूनतम आवश्यकता का आंकलन कर आउटसोर्सिंग के माध्यम से वाहन अनुबन्धित किये जाने के लिये वित्तीय एवं प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त किये जाने हेतु शासन को पत्र प्रेषित किया जा सके ।

क0	वाहन की पंजीयन संख्या/वाहन का प्रकार (कार/जीप/ जिप्सी /बोलेरो/सूमो /स्पेशियो इत्यादि)	डीजल /पेट्रोल	वाहन का माडल / वाहन द्वारा चली गयी दुरी	अधिकारी का नाम / पद नाम जिन्हें वाहन आवंटित है।	**वाहन का विवरण** जैसेः-चालू हालत में /कण्डम योग्य/कण्डम घोषित/निलामी पूर्ण	जनपद / जिला का नाम
1	2	3	4	5	6	7

(सूर्यमणि लालचंद)
एडीशनल कमिश्नर (प्रशासन) वाणिज्य कर
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पृष्ठांकन पत्र संख्या व दिनॉक-उक्त
प्रतिलिपिः-ज्वाइन्ट कमिश्नर (आई0टी0) वाणिज्य कर,मुख्यालय,लखनऊ को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु।

एडीशनल कमिश्नर (प्रशासन) वाणिज्य कर
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।